लोक सभा सचिवालय
शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लाईब्रेरिस (ई एंड एफ) 2014/आईबी-15 दिसम्बर 2014

विश्व व्यापार संगठन में भारत का दृष्टिकोण व्यापार सुविधा समझौता *बनाम* खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण

प्रस्तावना

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना 1995 में टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गेट) (**बॉक्स-1 देखें**) के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। वर्तमान में 160 देश इसके सदस्य हैं; भारत इस बहुदेशीय संस्था का संस्थापक सदस्य और सक्रिय भागीदार देश है। सतत विकास के उद्देश्य के साथ वैश्विक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और व्यापार का विस्तार करने के लिये विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार समझौते प्रस्तुत करता है, व्यापार वार्ताओं के लिये मंच प्रदान करता है, देशों के बीच व्यापारिक विवादों का निपटारा करता है, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की समीक्षा करता है, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार नीति संबंधी मामलों में विकासशील देशों की सहायता करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करता है ताकि सभी के लिये समान अवसर सुनिश्चित किये जा सकें। इस प्रकार सभी देशों की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है।

बॉक्स-1

टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गेट)

टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अंतर्गत 1948 से 1994 तक अधिकांश विश्व व्यापार के लिये अनेक नियम बनाए गये। गेट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। 1995 में गेट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई।

डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च प्राधिकारी मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस है (**बॉक्स-2 देखें**) जिसमें प्रत्येक सदस्य देश के राजनैतिक प्रतिनिधि (व्यापार मंत्री) सम्मिलित होते हैं। मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस वर्तमान कार्यक्रमों की जांच करती है और डब्ल्यूटीओ द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्यों की भी सूची तैयार करती है। पहली मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस 1996 में सिंगापुर में हुई थी। अब तक ऐसी नौ कांफ्रेंस हो चुकी हैं, अंतिम कांफ्रेंस बाली, इंडोनेशिया में 3 से 7 दिसम्बर 2013 को आयोजित की गई। वर्ष 2001 में दोहा, कतर में हुई चौथी मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस के दौरान डब्ल्यूटीओ का व्यापार वार्ताओं संबंधी राउंड, जिसकी काफी चर्चा की जाती है, की शुरुआत हुई। इसे दोहा डेवलपमेंट राउंड (**बॉक्स-3 देखें**) भी कहा जाता है। इस राउंड में विकास को मुख्य मुद्दा बनाया गया है तथा विकासशील देशों से संबंधित विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए एजेंडा तैयार किया गया है।

बॉक्स-2

डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस

डब्ल्यूटीओ का सर्वोच्च निकाय मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस है जिसकी बैठक सामान्यत: हर दो वर्ष बाद होती है। पहली सभा 1996 में सिंगापुर में हुई थी, तब से नौ सभाएं हो चुकी हैं, अंतिम सभा बाली, इंडोनेशिया में 3 से 7 दिसंबर 2013 को हुई थी।

बॉक्स-3

दोहा डेवलपमेंट एजेंडा (डीडीए)

चौथी मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस 2001 में दोहा, कतर में हुई जिसमें विकासशील देशों से संबंधित विभिन्न मामलों पर चर्चा हेतु एजेंडा तैयार किया गया। चूंकि विकास कार्य-सूची का प्रमुख मुद्दा था, अत: इसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा कहा गया।

दोहा राउंड के तहत व्यापारिक वार्ताएं अभी भी जारी हैं। वर्ष 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के परिप्रेक्ष्य में तथा पूरे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा पर डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों की पूर्ण सहमति न बन पाने के कारण 2011 में जेनेवा में हुई आठवीं मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस में यह निर्णय लिया गया था कि उन क्षेत्रों पर फोकस किया जाए जहां समरूपता संभव है। तद्नुसार, 2013 में बाली में हुई नौवीं डब्ल्यूटीओ मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस में छोटे-छोटे मुद्दों पर समझौते किये गये। वे मुद्दे, जिन्हें बाली पैकेज के रूप में जाना जाता है, के अंतर्गत विभिन्न मामलों पर 10 निर्णय/घोषणाएं की गईं। इनमें से मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस द्वारा लिये गये दो निर्णय विशेष रूप से भारत के लिये महत्वपूर्ण हैं— (एक) व्यापार सुविधा संबंधी समझौते पर मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस का निर्णय; (दो) खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक भंडारण के संबंध में लिया गया निर्णय।

यद्यपि कार्य-सूची में व्यापार सुविधा का मुद्दा मुख्य रूप से विकासशील देशों द्वारा सम्मिलित कराया गया था तथापि ये भारत सहित विकासशील देशों के ही प्रयास थे कि खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों के लिये सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण का मामला नौवीं मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस की कार्य-सूची में सम्मिलित किया गया।

व्यापार सुविधा समझौता (टीएफए) क्या है?

पिछले कुछ वर्षों में टैरिफ कम करने तथा डब्ल्यूटीओ के तहत लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने (**बॉक्स-4 देखें**) के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्य रूप से व्यापार प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा विशेष रूप से सीमा शुल्क से संबंधित प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर फोकस किया गया। व्यापार वार्ताओं के दोहा राउंड, जो वर्ष 2001 में आयोजित किया गया था, के हिस्से के रूप में जेनेवा में एक नये बहुदेशीय समझौते के बारे में चर्चा की गई। व्यापार सुविधा समझौता जो नौवीं मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस (बाली, दिसम्बर, 2013) में मंत्रियों द्वारा लिये गये निर्णय का परिणाम था, का मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क संबंधी प्रक्रियाओं में बेहतर पारदर्शिता लाना और उनका सरलीकरण करना, भुगतान के लिये इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कराना, जोखिम प्रबंधन तकनीकियां और बंदरगाहों पर तीव्र निकासी सुनिश्चित करता है ताकि व्यापारिक देशों के लिए व्यापारिक गतिविधियां और अधिक सरल और सुचारू हो सकें।

बॉक्स-4

मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर)

मात्रात्मक प्रतिबंध ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें किसी विशिष्ट अवधि के लिये किसी देश में आयात (या निर्यात) की जाने वाली किसी वस्तु या सेवा की मात्रा पर लगाया जाता है। इन्हें घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को संरक्षित करने या व्यापार घाटे को कम करने या बिल्कुल खत्म करने के उद्देश्य से लगाया जाता है।

ऊपर वर्णित दिसम्बर, 2013 के मंत्रियों के निर्णय के अनुसार, व्यापार सरलीकरण समझौते की विधिक समीक्षा करने तथा व्यापार सुविधा समझौते को डब्ल्यूटीओ समझौतों का अनिवार्य हिस्सा बनाने के लिये संशोधनों की मूल प्रति तैयार करने हेतु तैयारी संबंधी समिति गठित की गई। मंत्रियों के निर्णय के अनुसार, जनरल काउंसिल (**बॉक्स-5 देखें**) को तैयारी संबंधी समिति द्वारा तैयार की गई मूल प्रति को अंगीकार करने तथा मूल प्रति को 31 जुलाई, 2015 तक सदस्य देशों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के लिये बैठक आयोजित करनी थी ताकि इसे लागू किया जा सके। तथापि, बाली के बाद विकासशील देशों ने अन्य सभी निर्णयों को दरकिनार करके केवल व्यापार सुविधा समझौता लागू करने पर ही ध्यान केन्द्रित किया। भारत अन्य मुद्दों विशेष रूप से खाद्य सुरक्षा प्रयोजनार्थ सार्वजनिक भंडारण दर प्रस्ताव पर बात आगे न बढ़ने पर चिंतित था। भारत ने विश्व व्यापार संगठन में इस मुद्दे को कई बार उठाया।

25 जुलाई, 2014 को भारत ने विश्व व्यापार संगठन की जनरल काउंसिल में वक्तव्य दिया कि जब तक खाद्य सुरक्षा प्रयोजनार्थ सार्वजनिक भंडारण का कोई स्थायी समाधान नहीं किया जाता तब तक ट्रेड फेसिलिटेशन प्रोटोकॉल को अपनाये जाने को स्थगित रखा जाना चाहिए।

बॉक्स-5

विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल

जनरल काउंसिल विश्व व्यापार संगठन की संरचना में दूसरे स्तर की निर्णय लेने वाली संस्था है जो विश्व व्यापार संगठन की मंत्री सम्मेलनों के बीच के अंतरालों में मंत्री सम्मेलनों के कार्य करता है। इसमें सभी सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि (सामान्यतया राजदूत या समकक्ष) होते हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रयोजनार्थ सार्वजनिक भंडारण क्या है?

खाद्य सुरक्षा प्रयोजनार्थ सार्वजनिक भंडारण उन उत्पादों के स्टॉक के संचालन और भंडारण के संबंध में, जो कि विश्व व्यापार संगठन सदस्य देशों के राष्ट्रीय विधान में पहचान किए गए खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का अभिन्न अंग है; व्यय को कवर करता है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी समझौते (एओए) में कृषि व्यापार के नियम, खाद्य सुरक्षा प्रयोजनार्थ सार्वजनिक भंडारण कार्यक्रमों में रुकावट नहीं डालते। तथापि, यदि ऐसे कार्यक्रमों के लिए खाद्य निर्देशित कीमत पर, न कि बाजार कीमत पर खरीदा जाता है तो यह किसानों के लिए सहायता मानी जाती है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार सर्वाधिक विकासशील देशों के मामले में ऐसी सभी सहायता प्रश्नगत उत्पादों की उत्पादन लागत के 10 प्रतिशत की सीमा के भीतर रखनी होगी। यह सीमा विकासशील देशों में खाद्यान्नों की खरीद और खाद्य

सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को नियंत्रित करती है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार नियत विदेशी संदर्भ मूल्य (**बॉक्स-6 देखें**) की वर्तमान नियंत्रित मूल्य (उदाहरण के लिए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) से तुलना करके सहायता की गणना की जाती है, इस प्रकार विकासशील देशों द्वारा दी गई सहायता कृत्रिम रूप से बढ़ जाती है। जहां तक किसानों को कीमत सहायता प्रदान करके खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने का प्रश्न है तो विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान नियमों में विकासशील देशों के हितों की अनदेखी की गई है और इसे अद्यतन किए जाने की आवश्यकता है।

बॉक्स-6
नियत विदेशी संदर्भ मूल्य

नियत विदेशी संदर्भ मूल्य (विभिन्न कृषि उत्पादों के संदर्भ में) वर्ष 1986 से 1988 पर आधारित है और सामान्यत: कुल निर्यातक/आयातक देश में संबंधित मूल कृषि उत्पाद हेतु पोत पर्यन्त नि:शुल्क ढुलाई, बीमा और भाड़े के यूनिन मूल्य का औसत होता है।

अत: विकासशील देश, सरकारों को विधिक चुनौतियों के बिना अपने किसानों से खाद्य की खरीद स्टॉक करने की अनुमति देने के लिए कृषि संबंधी समझौते के अंतर्गत नियमों को परिवर्तित करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे उपाय, उदाहरणार्थ, पोषक खाद्य को सस्ता और उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लाखों छोटे किसानों को सुरक्षा दायरा प्रदान करते हैं। खाद्य की उपलब्धता और खाद्य की कीमतों में अस्थिरता का सामना कर रहे विकासशील देशों में खाद्य भण्डार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। खाद्य सहायता कार्यक्रम इन देशों में खाद्य की असुरक्षा वाले परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा नेट उपलब्ध कराते हैं।

कृषि संबंधी समझौते (एओए) को समझना

1994 में उरुग्वे दौर की वार्ताओं की शृंखला (**बॉक्स-7 देखें**) में कृषि संबंधी वार्ताओं में अमरीका, जो कि सभी कृषि संबंधी राजसहायताओं को समाप्त करने अर्थात् "शून्य विकल्प" के पक्ष में था, और यूरोपीय आयोग (ईसी), जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से अपने किसानों की रक्षा के पक्ष में था, के बीच मतभेद पूरी तरह छाये रहे। द्विपक्षीय चर्चाओं की शृंखला के पश्चात् दोनों ने उरुग्वे दौर के दौरान कृषि संबंधी समझौते (एओए) के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए एक समझौता किया। कृषि संबंधी समझौते में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों को अपने किसानों को दी जाने वाली अनुमेय और निषिद्ध राजसहायताओं के बारे में निर्देशित किया गया है। तथापि, समझौते में अनेक प्रकार के असंतुलन, जो कि विकसित देशों के पक्ष में हैं और विकासशील देशों के विरुद्ध हैं, शामिल हैं। कृषि संबंधी समझौते में मुख्य अनुचित रूप, घरेलू सहायता के क्षेत्र में है। जहां विकसित देशों की छह वर्ष की अवधि के पश्चात् अपने कृषि क्षेत्र को 80 प्रतिशत तक घरेलू राजसहायता देना जारी रखने की अनुमति दी गई है वहीं अधिकांश विकासशील देशों (जिनके पास उस समय अपने संसाधनों की कमी के कारण कम राजसहायता थी या बिल्कुल नहीं थी) की न्यूनतम अर्थात् अधिकांश उत्पादों की कुल कीमत के 10 प्रतिशत से अधिक घरेलू राजसहायता देने से रोका गया है। इसके अतिरिक्त, बहुत प्रकार की घरेलू राजसहायताओं जिनमें से अधिकांश का प्रयोग विकसित देशों द्वारा किया जाता है, की कटौती से छूट दी गई है। इसका परिणाम यह रहा कि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र में कुल घरेलू राजसहायता, विकासशील देशों की तुलना में बहुत अधिक है।

बॉक्स-7
उरुग्वे दौर की वार्ताएं

उरुग्वे दौर की वार्ता (1986-1994) टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार (गैट) के अंतर्गत आठवीं और अंतिम दौर की वार्ता थी जिसने 1948 से 1994 तक अधिकांश विश्व के लिए नियमों का उपबंध किया था।

कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन के समझौते में असंतुलन के मद्देनजर विकासशील देश अपने देशों में सरकारी सहायता नीतियों के माध्यम से कृषि विकास की अनुमति देने के लिए निरंतर "विशेष और विशिष्ट व्यवहार" की मांग करते रहे हैं। सरकारों की घरेलू सहायता नीतियों के संदर्भ में कृषि क्षेत्र को दी गई "एग्रीमेंट मेजरमेंट सपोर्ट" (एएमएस), विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाया गया शब्द, के प्रावधान का विशेष महत्व है। एएमएस, आर्थिक शब्दों का प्रयोग करके कीमत सहायता के रूप में या सरकार से राजसहायता के रूप में या किसी तरह के प्रत्यक्ष भुगतान के रूप में सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक मूल कृषि उत्पाद हेतु गणना की गई माप है।

कृषि संबंधी समझौता लागू करने के समय, विकासशील देशों के पास कोई महत्वपूर्ण सहायता उपाय नहीं थे जो कृषि उत्पादों के उत्पादन और उनके व्यापार को विकृत कर सकते थे। तथापि, आज तक विकसित देश यूएस फार्म बिल (**बॉक्स-8 देखें**) और यूरोपीय संघ सामान्य कृषि नीति (**बॉक्स-9 देखें**) जहां सरकार की राजसहायता व्यय औसतन उनके कृषि संबंधी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा है, जैसी नीतियों के माध्यम से अपनी कृषि को राजसहायता देना जारी रखे हुए हैं। दूसरी ओर, यद्यपि विकासशील देश, जैसे भारत किसानों को राजसहायता पर बहुत कम राशि खर्च करते हैं, परंतु चूंकि किसानों को दी गई नियंत्रित कीमत की तुलना वर्ष 1986-88 की कीमतों से की जाती है, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद जैसे सहायता उपाय व्यापार पद्धतियों को विकृत करने वाले कारकों

(जैसाकि विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी समझौते में परिभाषित किया गया है) की श्रेणी में आते हैं।

बॉक्स-8

यूएस फार्म बिल

यूएस फार्म बिल में अमरीका में किसानों को सुरक्षा नेट का उपबंध किया गया है। यूएस फार्म बिल, संघीय सरकार का मुख्य कृषि संबंधी और खाद्य नीति साधन है जिसे संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा पंचवर्षीय फार्म बिल अपनाकर अमरीका के किसानों को निश्चितता प्रदान करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में पारित किया जाता है।

बॉक्स-9

यूरोपीय संघ सामान्य कृषि नीति

यूरोपीय संघ सामान्य कृषि नीति (सीएपी), यूरोपीय संघ की कृषि संबंधी नीति है जो अनेक प्रकार के साधन जैसे कीमत गारंटी, प्रत्यक्ष भुगतान और कोटा तथा कुछ आयातित उत्पाद पर टैरिफ प्रदान करके क्षेत्र के किसानों की सहायता करने के लिए राजसहायता और अन्य कार्यक्रमों को लागू करती है।

खाद्य सुरक्षा और विश्व व्यापार संगठन वार्ताएं

खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का कहना है कि खाद्य सुरक्षा तब होती है जब सभी लोगों के पास हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक खाद्य तक भौतिक और आर्थिक पहुंच हो। एफएओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि प्रगति के बावजूद विश्व की बहुत बड़ी आबादी के पास पर्याप्त खाद्य और पोषाहार की कमी है। इस पृष्ठभूमि के विपरीत, खाद्य सुरक्षा सरोकारों ने विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

व्यापार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नियमों और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और वैश्विक उद्देश्यों की प्राप्ति का संबंध काफी लंबे समय से विश्व व्यापार संगठन के समक्ष एक विवादित विषय रहा है। यद्यपि, विश्व व्यापार संगठन संबंधी कृषि समझौते की प्रस्तावना और इसी समझौते में कई अन्य स्थानों पर खाद्य सुरक्षा का उल्लेख किया गया है तथापि, दोहा राउंड के प्रारंभिक वर्षों की वार्ता में और उससे ठीक पहले मुख्य रूप से इस मुद्दे पर ध्यान दिया गया कि किस प्रकार कुछ विकसित देशों में दी जा रही व्यापार को क्षति पहुंचाने वाली राजसहायता विश्व के निर्धन देशों में खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को कमजोर बना सकती है, इसके अतिरिक्त इस बात पर भी फोकस किया गया कि खाद्य सुरक्षा और संबंधित आधारों पर विकासशील देशों को व्यापार उदारीकरण प्रतिबद्धताओं से किस सीमा तक छूट प्रदान की जाए।

विकासशील देशों के लिए अपने निर्धन किसानों के लिए एक न्यूनतम आय सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे स्वयं के लिए और घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त खाद्यान्नों का उत्पादन कर सकें। यदि दोहा राउंड की वार्ता पूर्ण हो जाती तो विकासशील देशों द्वारा अपने किसानों को दी जाने वाली कृषि सहायता में कमी आ जाती। दोहा राउंड वार्ता का निर्णय न निकलने के कारण अमरीका, यूरोपियन यूनियन, जापान और अन्य विकसित देश, उरुग्वे दौर की वार्ता के कार्यान्वयन की अवधि के अंत में निर्धारित किए गए स्तर पर अपने किसानों को सहायता दे रहे हैं, जबकि, विकासशील देश कमी करने की प्रतिबद्धता के अभाव में अपने किसानों को 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही सहायता प्रदान कर पायेंगे। एक निर्धारित प्रतिशत होने के कारण इससे विकासशील देशों और भारत के समक्ष बाधाएं पैदा हो रही हैं क्योंकि समय के साथ-साथ हमारी खाद्यान्न आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और इसके परिणामस्वरूप, हमें अपनी खरीद और खाद्य सहायता प्रचालनों का विस्तार करना होगा।

खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्यान्नों के सार्वजनिक भंडारण के लिए भारत सहित विकासशील देशों की मांग

विकासशील देशों ने उन कृषि उत्पादों, जिन्हें वह अपनी खाद्य सुरक्षा और अस्थिरता पैदा करने वाली आयात प्रतिस्पर्धा से स्वयं को सुरक्षित रखने के अपने अधिकार के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके संबंध में प्रशुल्क में कमी करने की शर्त से छूट मांगी है। जून, 2000 में ग्यारह विकासशील देशों ने कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति को दिए अपने अभ्यावेदन में सुझाव दिया कि विकासशील देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा की समस्या का समाधान करने और अपने ग्रामीण निर्धनों की सुरक्षा के लिए नियमों में और अधिक छूट के लिए उनके साथ विशेष और भिन्न व्यवहार किया जाए। 01 अगस्त, 2004 के डब्ल्यूटीओ के जनरल काउंसिल के निर्णय (जिसे फ्रेमवर्क समझौता भी कहा जाता है) (**बॉक्स-10 देखें**) में उनके सरोकारों का उल्लेख किया गया जिसमें यह कहा गया कि विकासशील सदस्य देशों को "ऐसी कृषि नीतियों को आगे बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए जो उनके विकास संबंधी लक्ष्यों, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों, खाद्य सुरक्षा और आजीविका संबंधी सरोकारों में सहायक हों"। इसमें यह भी कहा गया कि "विकासशील देशों के पास खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा और ग्रामीण विकास आवश्यकताओं के मानदंड के आधार पर समुचित संख्या में उत्पादों को विशेष उत्पाद निर्धारित करने की छूट प्राप्त होगी। इन उत्पादों के

संबंध में अधिक लचीला व्यवहार किया जाएगा।'' फ्रेमवर्क समझौते में यह भी उल्लेख किया गया कि ''विकासशील देशों के उपयोगार्थ एक विशेष सुरक्षा तंत्र की स्थापना की जाएगी।''

बॉक्स-10
फ्रेमवर्क समझौता

विश्व व्यापार संगठन के दोहा राउंड की वार्ता का अधिदेश, दोहा मिनिस्ट्रीयल डेक्लेरेशन अर्थात् 01 अगस्त, 2004 के जनरल कार्उंसिल का निर्णय जिसे जुलाई, 2004 फ्रेमवर्क समझौता कहा जाता है, में समाविष्ट है।

उपरोक्त वर्णित फ्रेमवर्क समझौते के आलोक में विकासशील देशों के समूह जी-33 ने कृषि के संबंध में संशोधित प्रारूप कार्य प्रणालियों (**बॉक्स-11 देखें**) में यह प्रस्ताव किया कि खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु कम आय और कमजोर संसाधन वाले उत्पादकों से खरीद को सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों को ऐसे उपाय माना जाए जिनका व्यापार और उत्पादन संबंधी नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा अथवा बहुत कम होगा। परन्तु, संशोधित कार्य प्रणालियों पर सहमति न बन पाने के कारण विश्व व्यापार संगठन के दोहा राउंड की वार्ता में वांछित रूप से प्रगति नहीं हो पाई जिसके परिणामस्वरूप यह विकासशील देशों के लिए लाभकारी नहीं रही।

बॉक्स-11
कृषि हेतु संशोधित प्रारूप कार्य प्रणाली

कृषि हेतु संशोधित प्रारूप कार्य प्रणाली प्रकाशित वार्ता का पाठ है जिस पर अभी भी वार्ता दिसम्बर, 2008 से चल रही है।

बाद में, 2012 में कृषि संबंधी डब्ल्यूटीओ समिति के विशेष सत्र में जी-33 समूह ने 2013 में बाली में हुई नौवीं मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस में औपचारिक निर्णय हेतु खाद्यान्न भंडारण विषय को लेने का प्रस्ताव किया। परिणामस्वरूप, खाद्य सुरक्षा प्रयोजन हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय (7 दिसम्बर, 2013 को स्वीकृत) में सदस्य एक अंतरिम तंत्र (जिसे शांति खंड कहा जाता है) स्थापित करने तथा वर्ष 2017 में आयोजित डब्ल्यूटीओ के ग्यारहवें मंत्री सम्मेलन द्वारा स्थायी समाधान हेतु डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्यों पर लागू एक समझौते पर वार्ता करने के लिए सहमत हो गए। इस बीच सदस्य, उक्त निर्णय की तिथि को मौजूद खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रमों के अनुपालन में विश्व व्यापार संगठन कृषि समझौता के अंतर्गत प्रतिबद्धता भंग हेतु पारंपरिक मुख्य खाद्यान्न फसलों हेतु प्रदान की गई 10 प्रतिशत सहायता के स्तर में वृद्धि करने के लिए डब्ल्यूटीओ में किसी विकासशील देश को चुनौती नहीं देंगे।

भारत सहित विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा संबंधी बाली मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस के निर्णय के प्रभाव

विकासशील देशों ने बाली के बाद बाली मंत्री निर्णयों के कार्यान्वयन में असमान प्रगति नोट की। बाली मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस में लिए गए व्यापार सरलीकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के पश्चात् ऐसी आशंका है कि विकसित देश इस मुद्दे पर या बाली मिनिस्टीरियल कांफ्रेंस के किसी भी अन्य गैर बाध्यकारी परिणाम पर चर्चा करने हेतु वापस नहीं आएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि विकसित देश व्यापार संबंधी वांछित समझौता करा लेंगे और विकासशील देश खाद्य सुरक्षा हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में किसी परिणाम हेतु बातचीत करने का अधिकार खो देंगे। इसके अतिरिक्त, दोहा राउंड की वार्ता को पूरा करने का कोई अवसर नहीं बचेगा। तत्पश्चात्, विकसित देश डब्ल्यूटीओ में अपने हितों से जुड़े नए मुद्दे लाने का प्रयास करेंगे जो कि संभवत: विकासशील देशों के हित में न हों। यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि किस प्रकार डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अंतर्गत विकासशील देशों के हितों को विकसित देशों की शक्ति के समक्ष तरजीह दी गई है।

भारत के खाद्य सुरक्षा संबंधी सरोकार और डब्ल्यूटीओ में दृष्टिकोण

भारत, विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में डब्ल्यूटीओ वार्ता के केन्द्र में रहा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (**बॉक्स-12 देखें**) जिसके अंतर्गत भारत का सदैव मानना रहा है कि गरीबों के लिए खाद्य और आजीविका सुरक्षा हेतु नियंत्रित मूल्य पर कम आय और कमजोर संसाधन वाले किसानों से सार्वजनिक स्टॉक की खरीद आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इसके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (**बॉक्स-12 देखें**) में अधिनियमित है जो नागरिकों की हकदारी में वृद्धि का उपबंध करती है।

बॉक्स-12
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करते हुए कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन पर्याप्त मात्रा में उचित कीमतों पर प्राप्त हो, जीवन पर्यंत भोजन और पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम, 2013 को लागू किया है। इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत सस्ती दरों पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण जनसंख्या के 75 प्रतिशत तक और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक को शामिल करने की व्यवस्था है, इस प्रकार देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या इसके दायरे में आती है।

कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते में यह कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ का कोई सदस्य यदि खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु खाद्यान्नों का सार्वजनिक भंडारण करता है, तो जिस कीमत पर खाद्यान्नों को खरीदा गया है (भारत के मामले में, न्यूनतम समर्थन मूल्य) और 1986-88 के नियत विदेशी संदर्भ मूल्य के बीच के अंतर को राजसहायता माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, जैसा पहले उल्लेख किया गया है, यह समझौता विकासशील देशों को उनके कृषि उत्पादन की कीमत के मात्र 10 प्रतिशत तक की कृषि राजसहायता प्रदान करने की अनुमति देता है, जोकि भारत के दृष्टिकोण से इसके घरेलू खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए प्रतिकूल है। चूंकि कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुसार, वर्तमान खरीद कीमतों को 1986-88 की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के सापेक्ष में उस समय से अब तक हुए मुद्रास्फीति प्रभावों पर विचार किए बिना निर्धारित करना है, जी-33 देशों (वर्तमान में 46 देशों का समूह) सहित भारत का तर्क था कि राजसहायता की गणना हेतु इस अंतर्निहित अनियमितता को ठीक करने की आवश्यकता है जो "स्थायी समाधान" का सार है। भारत यह मानता है कि विकासशील देशों में किसान कीमतों के संबंध में जोखिम का अधिक सामना करते हैं और विकसित देशों के किसानों की अपेक्षा इसके प्रबंधन के लिए उनके पास अवसर भी कम हैं। विकसित देशों में भी उनके कृषि उत्पादों हेतु बाजार समर्थन मूल्य कार्यक्रम हैं। तथापि, उनके पास संसाधनों की उपलब्धता होने के कारण उन्हें बाजार मूल्य समर्थन प्रणाली की आवश्यकता नहीं रहती है। परंतु, विकासशील देशों के मामलों में ऐसा संभव नहीं है।

उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण संबंधी बाली में मंत्रियों द्वारा लिया गया निर्णय सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण कार्यक्रम चलाने वाले कुछ विकासशील देशों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, हालांकि यह एक अस्थायी राहत के रूप में ही है जब तक कि 2017 में होने वाली 11वीं मिनिस्ट्रियल कांफ्रेंस में एक स्थायी समाधान पर सहमति न बन जाए। भारत के नेतृत्व में विकासशील देश सरकारी मूल्य समर्थन के माध्यम से कम आय स्रोत वाले गरीब किसानों से खरीद कर कम आय वाले करोड़ों परिवारों को खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के अधिकार की मांग कर रहे हैं, जबकि विकसित देश अतिरिक्त व्यापार नियमों हेतु मांग कर रहे हैं जिससे बहुदेशीय व्यापार व्यवस्था को और सुगम बनाया जा सके। विकासशील देशों में करोड़ों गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा की उपेक्षा न करते हुए एक निष्पक्ष और मुक्त वैश्विक कृषि व्यापार प्रणाली को हासिल करने के लिए एक स्थायी समाधान ढूंढना आवश्यक है। कृषि संबंधी मुद्दों विशेषकर खाद्य सुरक्षा मुद्दे के महत्व को देखते हुए अपने राष्ट्रीय हित और सभी विकासशील देशों के हित में भी भारत ने विश्व व्यापार संगठन में यह रुख अपनाया है कि जब तक बाली पैकेज के निर्णय विशेषकर खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण के संबंध में स्थायी परिणाम दिखाई नहीं देंगे वह व्यापार सुविधा समझौते को स्वीकार नहीं करेगा।

हाल के घटनाक्रम

यह विषय 14 जुलाई, 2014 को ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स (**बॉक्स-13 देखें**) ट्रेड मिनिस्टरों की बैठक और 19 जुलाई, 2014 को सिडनी में आयोजित जी-20 (**बॉक्स-14 देखें**) ट्रेड मिनिस्टरों की बैठक के दौरान भी चर्चा के लिए उठाया गया। भारत ने बाली वार्ता के प्रत्येक निर्णय के कार्यान्वयन के प्रति यह कहते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि वह उनके कार्यान्वयन के रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। यह स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण का मुद्दा जो देश के आजीविका और खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों को प्रभावित करता है, के कार्यकरण में भारत समान स्तर की प्रतिबद्धता और प्रगति चाहता है। भारत ने खाद्य सुरक्षा प्रयोजनों हेतु सार्वजनिक खाद्यान्न भंडारण से समय पर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत किए।

बॉक्स-13

ब्रिक्स

ब्रिक्स उभरती हुई प्रमुख पांच अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है। ब्रिक्स सदस्य क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ-साथ अपनी बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं।

बॉक्स-14

जी-20

बीस देशों का समूह (जी-20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और निर्णय लेने का एक अग्रणी मंच है जिसमें विकसित और विकासशील देश दोनों ही शामिल हैं। इसके सदस्यों में 19 देश (भारत सहित) और यूरोपीय संघ सम्मिलित हैं।

भारत ने इसके समाधान हेतु कड़े प्रयास किए हैं और न केवल खाद्य सुरक्षा के मुद्दे का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए बल्कि निर्धारित समय सीमा में व्यापार सुविधा समझौते के कार्यान्वयन और कम विकसित देशों हेतु अनुकूल परिणामों को हासिल करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। महीनों के गतिरोध के पश्चात्, हाल ही में, भारत और अमेरिका (विश्व की दो बड़ी आर्थिक ताकतें) अपने बीच के मतभेद दूर करने में सफल रहे हैं। समझौते के अनुसार, एक ऐसे तंत्र जिसके अंतर्गत विश्व व्यापार संगठन कृषि समझौते के प्रावधानों के संबंध में स्थायी रूप से बने रहेंगे और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य तब तक

विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रक्रियाओं के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को चुनौती नहीं देंगे जब तक इस मुद्दे के संबंध में किसी ''स्थायी समाधान'' पर सहमति नहीं बन जाती और उसे अंगीकार नहीं कर लिया जाता।

इस संबंध में भारत और अमरीका के बीच हुए समझौते के अनुसरण में विश्व व्यापार संगठन की आम परिषद ने 27 नवम्बर, 2014 को इस आशय का निर्णय अंगीकार किया है कि शांति खंड जिस पर बाली में सहमति बनी थी तब तक प्रभाव में रहेगा जब तक कि सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं ढूंढ लिया जाता। आम परिषद के निर्णय के अनुसार, यदि 31 दिसम्बर, 2015 तक कोई समाधान नहीं मिल पाता तो जब तक वार्ता समाप्त नहीं हो जाती और विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों द्वारा कोई स्थायी समाधान अंगीकृत नहीं कर लिया जाता, शांति खंड बना रहेगा और प्रभाव में रहेगा। आम परिषद ने व्यापार सुविधा समझौते को विश्व व्यापार संगठन समझौते का भाग बनाने के लिए एक नयाचार को भी अंगीकृत किया और इस नयाचार को विश्व व्यापार संगठन के देशों की स्वीकृति हेतु खोल दिया। विश्व व्यापार संगठन के दो-तिहाई देशों के अनुसमर्थन पर, व्यापार सुविधा समझौता प्रभावी हो जाएगा।

भारत यह सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है कि बाली मंत्री निर्णयों को लागू किया जा सके और डब्ल्यूटीओ में दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के शेष भागों का समापन कार्य ईमानदारी से आरंभ किया जा सके।

संदर्भ

1. भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), ''इंडियाज स्टैंड एट दि डब्ल्यूटीओ: पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग फॉर फूड सिक्यूरिटी पर्पजेस वर्सेस ट्रेड फेसिलिटेशन एग्रीमेंट'' के संबंध में डॉक.यू.ओ. सं. 4/6/2014-टीडीपी (एग्री.) दिनांक 27 अक्तूबर, 2014 के द्वारा पत्राचार;
2. भारत सरकार, प्रेस सूचना ब्यूरो, 'इंडियाज स्टैंड इन द डब्ल्यूटीओ' के संबंध में निर्मला सीतारमन का वक्तव्य, 28 नवम्बर, 2014;
3. 'डब्ल्यूटीओ' के महानिदेशक—राबर्ट ऐजेवेडो का वक्तव्य, 27 नवम्बर, 2014;
4. सभापति का वक्तव्य, आम परिषद, डब्ल्यूटीओ, 27 नवम्बर, 2014;
5. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री का 'इंडियाज स्टैंड इन द डब्ल्यूटीओ संबंधी वक्तव्य' लोक सभा वाद-विवाद, 28 नवम्बर, 2014;
6. 'रिलीफ एट द डब्ल्यूटीओ', 'इकानॉमिक एण्ड द पॉलिटिकल वीकली', खंड XLIX सं. 47, 22 नवम्बर, 2014, पृ. 8;
7. 'सक्सेस एट डब्ल्यूटीओ विदाउट एनी कम्प्रोमाइज: निर्मला सीतारमन', द हिन्दू, नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2014;
8. डॉ. बिश्वजीत धर, 'इंडिया कॉनक्लूड्स बाइलेटरल एग्रीमेंट्स विद यूएस, एग्रीस टू एन इनडेफिनिट पीस क्लॉज', दि इकॉनामिक टाइम्स, 14 नवम्बर, 2014;
9. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑरगेनाइजेशन (एफएओ) ट्रेड पॉलिसी ब्रीफ्स ऑन इश्यूज रिलेटिड टू दि डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस ऑन एग्रीकल्चर (सं. 16), ''दि बाली पैकेज—इंप्लिकेशंस फॉर ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी'', फरवरी, 2014;
10. मार्था गेटश्यू बेकेल, ''ऑफर ऑफ ए ट्रूस: दि पीस क्लाज एग्रीमेंट ऑन फूड स्टॉक होल्डिंग इन बाली'' (ब्रीफिंग पेपर), सीयूटीएस इंटरनेशनल (जेनेवा), सं. 7, 2014;
11. एलन मैथ्यूज, ''फूड सिक्योरिटी एंड डब्ल्यूटीओ डोमेस्टिक सपोर्ट डिसिप्लिन पोस्ट-बाली'', इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (आईसीटीएसडी) प्रोग्राम ऑन एग्रीकल्चरल ट्रेड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इश्यू पेपर सं. 53, जून, 2014;
12. डॉ. बी.डी. करडाह, ''फूड सिक्यूरिटी इन इंडिया: इश्यूज एंड मेजर्स'', इंडियन जर्नल ऑफ एप्लाइड रिसर्च, खंड 4, अंक 4, अप्रैल 2014; और
13. अनिल चंडी इत्येराह, ''फूड सिक्यूरिटी इन इंडिया: इश्यूज एंड सजेशंस फॉर इफेक्टिवनेस''—57वां सदस्य वार्षिक सम्मेलन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली, 2013।

वेबसाइट

1. विश्व व्यापार संगठन की वेबसाइट
2. वाणिज्य विभाग, भारत सरकार की वेबसाइट

लोक सभा सचिवालय के श्री पी.के. मिश्र, अपर सचिव और श्री सी.एन. सत्यनाथन, निदेशक की देखरेख में, डॉ. बी.सी. जोशी, अपर निदेशक और श्री जयंत कुमार सामल, अनुसंधान अधिकारी द्वारा वाणिज्य विभाग से जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों के उपयोग और जानकारी हेतु तैयार किया गया। इस बुलेटिन का हिन्दी संस्करण संपादन और अनुवाद सेवा की श्रीमती सरिता नागपाल, निदेशक, श्री धनी राम, अपर निदेशक और श्री डी.आर. मेहता, संयुक्त निदेशक के मार्गनिर्देशन में तैयार किया गया।